रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245068
CG-DL-E-10042023-245068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2023/चैत्र 20, 1945
No. 217] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2023/CHAITRA 20, 1945

## संचार मंत्रालय

## (दूरसंचार विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

**सा.का.नि. 278(अ).**—केंद्रीय सरकार भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (आपदा चेतावनी के लिए सेल प्रसारण सेवा) नियम, 2023 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषा** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भों से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "फीचर फोन" से कोई ऐसा मोबाइल फोन हैंडसेट अभिप्रेत हैं जिसमें इंटरनेट पहुंच और संगीत स्टोर करने और चलाने की क्षमता जैसी विशेषताएं सम्मिलित हो किंतु इसमें व्यक्तिगत कंप्यूटर की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा न हो;

(ख) "स्मार्ट फोन" से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से युक्त कोई मोबाइल फोन हैंडसेट अभिप्रेत है जो मोबाइल या हैंडहेल्ड उपयोग के लिए उपयोगी अन्य विशेषताओं के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सुविधा प्रदान करता हैं;

(ग) "सेल प्रसारण" से किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही समय में प्रसारण रीति से बहु मोबाइल टेलीफोन उपयोक्ताओं को संदेश भेजने की एक विधि अभिप्रेत है।

**3. नए स्मार्ट फोन और फीचर फोन में सेल प्रसारण --**(1) इन नियमों के प्रारंभ से छह मास पश्चात् कोई भी विनिर्माता भारत में निम्नलिखित सुविधाओं से रहित किसी भी स्मार्ट फोन या फीचर फोन का निर्माण या बिक्री नहीं करेगा, अर्थात्-

(क) अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में सेल प्रसारण संदेश प्राप्त करने के लिए अनिवार्य समर्थन;

(ख) फीचर फोन की मेमोरी के अध्यधीन प्राप्त सेल प्रसारण संदेशों को कम से कम चौबीस घंटे के लिए संग्रह करना;

(ग) उपयोक्ता द्वारा स्वीकृति दिए जाने तक स्क्रीन पर सेल प्रसारण संदेशों को बनाए रखना;

(घ) कम से कम तीस सेकंड की अवधि के लिए चेतावनी ध्वनि, कंपन और प्रकाश; और

(ङ) ग्राहक की जागरूकता बढ़ाने के लिए फीचर सूची और उपयोक्ता नियमावली में सेल प्रसारण क्षमता का अनिवार्य उल्लेख।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के नौ मास पश्चात् से कोई भी विनिर्माता भारत में निम्नलिखित सुविधाओं से रहित स्मार्टफोन या फीचर फोन का निर्माण या बिक्री नहीं करेगा अर्थात्: -

(क) अत्यधिक सेल प्रसारण चेतावनी संदेशों की अनिवार्य प्राप्ति और तीव्र सेल प्रसारण चेतावनी संदेशों की अनिवार्य प्राप्ति की खोज करना ; और

(ख) फीचर फोन की मेमोरी के अध्यधीन अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के भारतीय उच्चारण में सेल प्रसारण संदेशों को स्वतः पढ़ा जाना।

(3) इन नियमों के प्रारंभ के बारह मास के पश्चात कोई भी विनिर्माता भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार सभी भारतीय भाषाओं में फीचर फोन की मेमोरी के अध्यधीन सेल प्रसारण संदेश प्राप्त करने और भारतीय उच्चारण में ऐसे संदेशों को स्वतः पढ़े जाने के आवश्यक समर्थन के बिना भारत में स्मार्ट फोन या फीचर फोन का निर्माण या बिक्री नहीं करेगा ।

**4. मौजूदा स्मार्ट फोन में सेल प्रसारण :** इन नियमों के प्रारंभ के छह मास के भीतर मोबाइल फोन हैंडसेट विनिर्माता और मोबाइल हैंडसेट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर को यह खोज करना होगा कि इसके प्रारंभ के चार वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर जो स्मार्ट फोन भारत में बेचे गए हैं उनमें भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार सभी भारतीय भाषाओं में सेल प्रसारण संदेश प्राप्त करने और स्वतः पढ़ने की सुविधा हो।

[फा. सं. 15-2/2021-डीएम]

संजय कुमार अग्रवाल, उप महानिदेशक (आपदा प्रबंधन)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**

**(Deaprtment of Telecommunications)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2023

**G.S.R. 278(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub- section (2) of section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Cell Broadcasting Service for Disaster Alerts) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definition** - In these rules, unless the contexts otherwise requires,-

(a) "feature phone” means a mobile phone handset that may incorporate features such as the ability to access internet and store and play music but does not have the operating system feature of a personal computer;

(b)"smart phone” means a mobile phone handset with a mobile operating system, which combines features similar to those of a personal computer operating system with other features useful for mobile or handheld use;

(c) "cell broadcast” means a method of sending messages to multiple mobile telephone users in a defined area at the same time in a broadcast manner.

**3. Cell broadcast in new smart phones and feature phones**--(1) With effect after the six months of the commencement of these rules, no manufacturer shall manufacture or sell in India, any smart phone or feature phone without having following facilities, namely:-

(a) mandatory support to receive cell broadcast messages in English & Hindi languages;

(b) storing received cell broadcast messages for at least twenty-four hours, subject to the memory of the feature phone;

(c) maintaining cell broadcast messages on the screen until acknowledged by the user;

(d) alert sound, vibration and light duration for at least thirty seconds; and

(e) mandatory mentioning of cell broadcast capability in feature list and user manuals to increase customer awareness.

(2) With effect after the nine months of the commencement of these rules, no manufacturer shall manufacture or sell in India, the smart phone or feature phone without having following facilities, namely:-

(a) mandatory receipt of extreme cell broadcast alert messages and the mandatory receipt of severe cell broadcast alert messages may be explored; and

(b) automatic read out of the cell broadcast messages in Indian accent, in English & Hindi languages, subject to the memory of the feature phones.

(3). With effect after the twelve months of the commencement of these rules, no manufacturer shall manufacture or sell in India, the smart phone or feature phone without having mandatory support to receive cell broadcast messages and automatic read out of such messages in Indian accent, in all Indian languages as per Eighth Schedule to the Constitution of India, subject to the memory of the feature phone.

**4. Cell broadcast in existing smart phones:** Within six months of the commencement of these rules, the manufacturer of mobile phone handset and the mobile handset operating system developer shall explore that the smart phone, which have been sold in India within four years prior to such commencement, have the facility to receive cell broadcast messages and auto read out feature, in all Indian languages as per Eighth Schedule to the Constitution of India.

[F. No. 15-2/2021-DM]

SANJAY KUMAR AGRAWAL, Dy. Director Gen. (Disaster Management)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.